एससीएम सॉलिफ्ट लिमिटेड और एएनआर।

बनाम

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (2016 की सिविल अपील संख्या 10678)

/

अप्रैल 17,2018

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा**,** जे**.** जे**.]**

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002-ss.5(क) (i), (ii), 6 (2), 43 ए-अपीलकर्ताओं ने दो अवसरों पर एक कंपनी ('एमसीएफएल') के शेयरों का अधिग्रहण किया-पहला अधिग्रहण 24.46% चुकता शेयर पूंजी के लिए था और दूसरा अधिग्रहण और 1.7% चुकता शेयर पूंजी के लिए था-अपीलकर्ताओं ने पहले अधिग्रहण के विवरण का खुलासा करते हुए और दूसरे अधिग्रहण के 30 दिनों के भीतर दूसरे अधिग्रहण को अधिसूचित करते हुए नोटिस दायर किया-प्रतिस्पर्धा आयोग ने यू/एस जुर्माना लगाया।43 ए अधिग्रहण से पहले प्रस्तावित संयोजन को आवश्यकतानुसार अधिसूचित करने में विफल रहने के लिए।6(2) – अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःएस के अंतर्गत 6(2) संयोजन में प्रवेश करने के प्रस्ताव को आयोग को अधिसूचित किया जाना आवश्यक है-संयोजन में प्रवेश करने से पहले अधिसूचना दी जानी चाहिए-एस की सूचना।6(2) अधिग्रहण की समाप्ति से पहले दिया जाना है-पूर्व पोस्ट फैक्टो नोटिस पर विचार नहीं किया गया है।6(2) – इसके अलावा, संयोजन विनियम, 2011 के लिए Sch.1 का प्रावधान है कि शेयरों का अधिग्रहण या एस में संदर्भित मतदान अधिकार।5(ए) (आई) या एस।5(क) (ii) अधिग्रहणकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों का 25 प्रतिशत या उससे अधिक रखने का अधिकार नहीं देता है-तत्काल मामले में, दूसरे लेनदेन द्वारा अपीलार्थी की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक हो गई, क्योंकि इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 25.3% हो गई और इस प्रकार, पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी-Sch.1 के स्पष्टीकरण में आगे कहा गया है कि किसी उद्यम के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत से कम का अधिग्रहण केवल एक निवेश है-इस सीमा से परे, लेनदेन को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है-अपीलार्थी का पहला अधिग्रहण 'एमसीएफएल' का प्रयास करने और उसे लेने के लिए दीर्घकालिक योजना का

एक हिस्सा था, जो केवल एक निवेश-खरीद नहीं था।6(2) शेयरधारिता की 24.46% इक्विटी के अधिग्रहण के संबंध में-मामले के तथ्यों में, जानकारी का खुलासा देर से किया गया था-जुर्माना लगाना सही था-CCI (में प्रक्रिया)

/

/

/

/

/

/

302 ए.

303

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत ए का प्रतिस्पर्धा आयोग

संयोजनों से संबंधित व्यापार के लेन-देन) विनियम, 2011-आरआर के संबंध में।4,5 और अनुसूची I-SEBI (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 की प्रविष्टि I।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 -धारा 6 (2)-चर्चा का विधायी अधिदेश।

/

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 -s.43A-के अंतर्गत दंड का अधिरोपण-आयोजित के लिए विवेकःदंड यू/एस का अधिरोपण।43 ए एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के कारण है-इस प्रकार, एक दंड का पालन करना पड़ता है-विवेकाधिकार यू/एस।43 ए क्वांटम के संबंध में है।

/

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002-ss.6(2),31(1) – दो लेन-देनों के माध्यम से, अपीलकर्ताओं ने एक कंपनी ('एमसीएफएल') के शेयरों का अधिग्रहण किया और दूसरे अधिग्रहण के 30 दिनों के भीतर उसके विवरण का खुलासा करते हुए नोटिस दायर किया-प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी, हालांकि, अधिग्रहण से पहले प्रस्तावित संयोजन को अधिसूचित करने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया।6(2) – अपीलार्थियों की याचिका कि प्रस्तावित संयोजन के अनुमोदन के बाद यू/एस।31(1), जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था-आयोजितःकेवल आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से प्रावधानों का उल्लंघन वास्तव में अक्षम्य नहीं हो जाता है, जब यू/एस को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।6(2).

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया **:1.1** प्रतिस्पर्धा अधिनियम**, 2002** की धारा **6** संयोजनों के विनियमन से संबंधित है।किसी भी व्यक्ति या उद्यम को संयोजन में प्रवेश करने से पहले आयोग को **(**ए**)** अधिनियम में दिए गए विलय या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन**; (**बी**)** अधिनियम की धारा **5 (**ए**)** में निर्दिष्ट अधिग्रहण के लिए किसी समझौते या अन्य दस्तावेज का निष्पादन या धारा **5 (**बी**)** के अंतर्गत नियंत्रण प्राप्त करने के **30** दिनों के भीतर विवरण का खुलासा करते हुए नोटिस देना होगा।धारा **43** ए संयोजन पर जानकारी प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति से संबंधित है।कोई भी व्यक्ति या उद्यम जो आयोग को अधिनियम की धारा **6 (2)** के अंतर्गत नोटिस देने में विफल रहता है**,** आयोग ऐसी स्थिति में जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है जो कुल कारोबार या परिसंपत्तियों के **1** प्रतिशत तक हो सकता है**,** जो भी अधिक हो।**[**पैरा **9,10** और **11] [308-**ई**; 309-**सी**-**डी**,** ई**-**एफ**]**

/

/

/

304 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 4 एस. सी. आर.

1.2 सी**.** सी**.** आई**. (**संयोजनों से संबंधित व्यवसाय के लेन**-**देन के संबंध में प्रक्रिया**)** विनियम**, 2011** का विनियम **5** प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना के रूप से संबंधित है। विनियम **5 (8)** में प्रावधान है कि धारा **6 (2) (**बी**)** में **"**अन्य दस्तावेज**"** का अर्थ किसी भी बाध्यकारी दस्तावेज से है**,** जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है**,** जो नियंत्रण**,** शेयरों**,** मतदान अधिकारों या परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए एक समझौते या निर्णय को सूचित करता है।संयोजन विनियमों की अनुसूची **1** में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा **5 (**ए**) (**आई**)** या धारा **5 (**ए**) (**आई**)** में निर्दिष्ट शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण अधिग्रहणकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों का **25** प्रतिशत या उससे अधिक रखने का अधिकार नहीं देता है।स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी उद्यम के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों के **10** प्रतिशत से कम के अधिग्रहण को केवल एक निवेश के रूप में माना जाएगा।**[**पारस **13,14] [310-**ए**-**बी**,** एफ**-**जी**]**

/

/

1.3 अपीलार्थियों द्वारा एम**.** सी**.** एफ**.** एल**.** के शेयरों के पहले अधिग्रहण के माध्यम से**,** एक ही दिन में एम**.** सी**.** एफ**.** एल**.** की **24.46%** इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया गया था**,** जिसमें से **19.9%** का अधिग्रहण ब्लॉक और थोक सौदों के माध्यम से किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा जारी समकालीन प्रेस विज्ञप्ति दिनांक **3.7.2013** ने संकेत दिया कि इसका उद्देश्य एम**.** सी**.** एफ**.** एल**.** में निवेश करना नहीं था। इसने उल्लेख किया कि "निवेश बहुत रणनीतिक है और कंपनी के व्यवसाय के साथ एक अच्छा फिट है"।अपने इरादे की प्रेस विज्ञप्ति में एक संकेत था जब उसने कहा कि डी**.** एफ**.** पी**.** सी**.** एल**.** "दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने" के लिए एम**.** सी**.** एफ**.** एल**.** के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है।न केवल अपीलार्थी बल्कि एक अन्य खिलाड़ी जुआरी समूह ने भी एम**.** सी**.** एफ**.** एल**.** के शेयरों की महत्वपूर्ण खरीद की अर्थात **2.4.2013** पर **9.72%** भी विवाद में नहीं है।इस प्रकार**,** यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का पहला अधिग्रहण एमसीएफएल पर कब्जा करने की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा था**,** जो केवल एक निवेश नहीं था। **24.46%** इक्विटी हिस्सेदारी की खरीद**,** प्रभाव का प्रयोग करने के लिए निहित शक्ति जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति**-II** में भी परिलक्षित होता है।किसी उद्यम के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों के **10** प्रतिशत से कम का अधिग्रहण केवल एक निवेश है।यह भी इंगित करता है कि इस सीमा से परे**,** लेन**-**देन को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है।इस प्रकार**,** हिस्सेदारी के **24.46%** के अधिग्रहण के संबंध में अधिनियम की धारा **6 (2)** के प्रावधानों का पालन करने में विफलता थी।**[**पैरा **16] [311-**एफ**-**एच**; 312-**ए**-**सी**]** ए

/

/

/

/

/

305

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत ए का प्रतिस्पर्धा आयोग

1.4 अधिनियम की धारा **6 (2)** से यह स्पष्ट है कि संयोजन में प्रवेश करने के प्रस्ताव को आयोग को अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।विधायी जनादेश स्पष्ट है कि संयोजन में प्रवेश करने से पहले अधिसूचना बनाई जानी चाहिए।प्रतियोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए आयोग की स्थापना की गई है।धारा **6 (2** ए**)** में प्रावधान है कि आयोग द्वारा धारा **31** के अंतर्गत नोटिस या आदेश पारित करने की तारीख से **210** दिन बीत जाने तक कोई भी संयोजन प्रभावी नहीं होगा**,** जो भी पहले हो।विनियम **5 (8)** में बनाए गए प्रावधान भी उपरोक्त निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं।अधिग्रहण की समाप्ति से पहले धारा **6 (2)**

की सूचना दी जानी है।धारा **6 (2)** के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व कार्योत्तर सूचना पर विचार नहीं किया गया है।यही अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। धारा **6 (2)** में **"**संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव**"** अभिव्यक्ति और आयोग को नोटिस में प्रकट किए जाने वाले आगे के विवरण 'प्रस्तावित संयोजन' के हैं।**[**पारस **18,19] [312-**ई**-**एच**; 313-**ए**]**

/

/

/

2. आयोग द्वारा बाद में संयोजन की मंजूरी का तथ्य एक इन्सुलेशन प्रदान करने वाला नहीं है जब अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और धारा **6 (2)** के अंतर्गत पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।केवल आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से प्रावधानों का उल्लंघन अक्षम्य नहीं हो जाता है।मामले के तथ्यों में**,** जानकारी का खुलासा देर से किया गया था। प्रावधान के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया था और यह सही तरीके से लगाया गया था। **[**पैरा **21,22] [313-D-E, G]**

/

3. दंड लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में धारा **43** ए के अंतर्गत पुरुष अधिकार या जानबूझकर उल्लंघन की कोई आवश्यकता नहीं थी।आपराधिक या अर्ध**-**आपराधिक दायित्व पर निर्णय लेने के लिए पुरुष अधिकार महत्वपूर्ण है।धारा **43** ए के अंतर्गत जुर्माना एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के कारण लगाया जाता है**,** और कार्यवाही न तो आपराधिक होती है और न ही अर्ध**-**आपराधिक।इस प्रकार**,** दंड को कम करना पड़ता है।यह रचना क्वांटम के संबंध में है।**[**पैरा **23,24] [313-**एच**; 314-**ए**,** जी**]**

/

/

हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम**.**उड़ीसा राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1970** एससी

253 :[1970] 1 एस**.** सी**.** आर**. 753-**विश्वसनीय।

/

306 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 4 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

[1970] 1 एस**.** सी**.** आर**. 753** पैरा **23** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2016 की सिविल अपील सं. 10678।

/

2015 के अपील सं. 59 में नई दिल्ली में अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. आर. भाटिया, अब्दुल्ला हुसैन, सुश्री कनिका चौधरी, अविनाश अमानथ, अभय कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।सलमान खुर्शीद, सीनियर एड. वी., समर बंसल, नीरज शेखर, सुश्री श्रेया सिंह, एड.प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

अरुण मिश्रा, जे. 1.अपीलार्थी एस. सी. एम. सोलिफर्ट लिमिटेड और अन्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 टी (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 2015 की अपील में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जिससे अधिनियम की धारा 43 ए के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेश की पुष्टि होती है। 2.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, जिन पर अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत आवश्यक प्रस्तावित संयोजन को अधिसूचित करने में विफलता के कारण, अधिनियम की धारा 43 ए के अंतर्गत दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आईडी2 पर, अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एमसीएफएल की चुकता शेयर पूंजी का गठन करते हुए मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (संक्षेप में "एमसीएफएल" के रूप में संदर्भित) के 150 शेयर खरीदे थे।

/

/

3. शेयरों के अधिग्रहण का पहला लेनदेन थोक और ब्लॉक सौदों के माध्यम से किए गए शेयरों की खरीद के माध्यम से किया गया था।इसके बाद दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचीबद्धता समझौते की आवश्यकताओं के अनुपालन में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर की गई प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 3.7.2013 जारी की गई।

/

/

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत का प्रतिस्पर्धा आयोग [अरुण मिश्रा, जे.] ए.

/

4. आई. डी. 1 पर शेयरों के दूसरे अधिग्रहण पर अपीलकर्ताओं ने एम. सी. एफ. एल. के 1.7 प्रतिशत शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 लाख इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए खुले बाजार में खरीद आदेश दिया। इसके बाद, एम. सी. एफ. एल. के 26 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण के लिए एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (संक्षेप में, "विनियम, 2011") के संदर्भ में एक खुला प्रस्ताव दिया गया।

/

5. अपीलकर्ताओं ने एम. सी. एफ. एल. के 1.7 प्रतिशत के अधिग्रहण के लिए विनियम, 2011 के अनुसार सार्वजनिक घोषणा के तीस दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत आयोग के साथ प्रथम अधिग्रहण के विवरण का खुलासा करते हुए और दूसरे अधिग्रहण को अधिसूचित करते हुए एक नोटिस दायर किया। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी, हालांकि, अधिनियम की धारा 43 ए के अंतर्गत अपीलार्थियों के खिलाफ दंड कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार, शेयरों के पहले और दूसरे अधिग्रहण के संबंध में अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार अधिसूचित करने में विफलता के आधार पर एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

/

/

6. अपीलार्थियों की ओर से यह मामला था कि पहला अधिग्रहण केवल सी. सी. आई. (संयोजन से संबंधित व्यवसाय लेनदेन के संबंध में प्रक्रिया) विनियम, 2011 (इसके बाद "प्रतिस्पर्धा विनियम" के रूप में संदर्भित) की अनुसूची I की प्रविष्टि I के अंतर्गत निवेश के उद्देश्य से किया गया था।इस प्रकार, उसने अधिसूचना से छूट ग्रहण कर ली।यह भी आग्रह किया गया कि दूसरे अधिग्रहण को अधिनियम की धारा 6 (2) में निर्दिष्ट 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर आयोग को अधिसूचित किया गया था। खरीद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि दिनांक 28.04.2014 एस्क्रो समझौते के अनुसार, दूसरे अधिग्रहण में खरीदे गए शेयरों को जे. एम. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विशेष रूप से नामित एस्क्रो खाते में जमा किया गया था।एस्क्रो समझौते में प्रवेश करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि लेनदेन आयोग की मंजूरी से पहले पूरा नहीं हुआ था। आयोग ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है; अपीलीय न्यायाधिकरण ने आदेश की पुष्टि की है। आयोग ने माना है कि अपीलकर्ताओं ने प्रस्तावित संयोजन को अधिसूचित करने में विफल रहकर अधिनियम की धारा 6 (2) का उल्लंघन किया है।7. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान

वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि पहला अधिग्रहण प्रविष्टि 1 अनुसूची 1 के दायरे में नहीं आता है।

/

/

/

/

अनुसूची 1 की प्रविष्टि 1 आयोग द्वारा की गई व्याख्या गलत है।शेयरों के दूसरे अधिग्रहण के संबंध में, यह आग्रह किया गया था कि एस्क्रो खाते के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अपीलकर्ता शेयरों के माध्यम से अर्जित कानूनी और लाभकारी अधिकारों का प्रयोग न कर सकें, क्योंकि खाता पूरी तरह से प्रबंधक के निर्देशों और अपीलकर्ताओं के बहिष्कार के आधार पर संचालित किया जा सकता था।प्रस्तावित संयोजन की मंजूरी के बाद, जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए था।उल्लंघन, यदि कोई हो, तकनीकी था, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण था।

/

8. इसके विपरीत, आयोग ने ठीक ही जुर्माना लगाया है।धारा 6 (2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था।लगाया गया जुर्माना बहुत कम है।शेयरों का पहला अधिग्रहण अधिसूचित था। इसे केवल एक निवेश नहीं कहा जा सकता था।रिलायंस को 3.7.2013 पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में रखा गया है, जिसमें निवेश को "बहुत रणनीतिक" होने का उल्लेख किया गया है, और अपीलार्थी ने जनता को यह भी सूचित किया है कि वे "भविष्य में एमसीएफएल के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं"।अपीलार्थियों द्वारा दायर जवाब में एम. सी. एफ. एल. में 2.4.2013 पर 9.72% शेयरों के ज़ुआरी समूह द्वारा अधिग्रहण की जानकारी को स्वीकार किया गया था।उसी दिन ब्लॉक और थोक सौदों के माध्यम से बड़ी संख्या में शेयरों का अधिग्रहण किया गया था।एम. सी. एफ. एल. बहुत लाभदायक नहीं था।इसलिए, शेयरों की खरीद को एक विवेकपूर्ण निवेशक द्वारा एक अच्छा निवेश नहीं कहा जा सकता है।9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, अधिनियम में निहित कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 6 संयोजनों के विनियमन से संबंधित है और इसे नीचे निकाला गया हैः

/

/

/

“ धारा 6:संयोजनों का नियमन

(1) कोई भी व्यक्ति या उद्यम ऐसे संयोजन में प्रवेश नहीं करेगा, जो भारत में संबंधित बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है या होने की संभावना है और ऐसा संयोजन अमान्य होगा।

/

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति या उद्यम, जो या जो एक संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, आयोग को उस प्रपत्र में, जो निर्दिष्ट किया जा सकता है, और शुल्क जो विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, प्रस्तावित संयोजन के विवरण का खुलासा करते हुए,-क के तीस दिनों के भीतर नोटिस देगा।

/

/

309

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत का प्रतिस्पर्धा आयोग [अरुण मिश्रा, जे.] ए.

(क) यथास्थिति, ऐसे विलय या समामेलन से संबंधित उद्यमों के निदेशक मंडल द्वारा धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलय या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन;

(ख) धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी समझौते या अधिग्रहण के लिए अन्य दस्तावेज का निष्पादन या उस धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण का अधिग्रहण।

/

(2 क) कोई भी संयोजन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस दिन से दो सौ दस दिन बीत नहीं जाते जिस दिन आयोग को उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस दिया गया है या आयोग ने धारा 31 के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं, जो भी पहले हो। "

/

10. किसी भी व्यक्ति या उद्यम को संयोजन में प्रवेश करने से पहले आयोग को (ए) अधिनियम में दिए गए विलय या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन; (बी) अधिनियम की धारा 5

(ए) में निर्दिष्ट अधिग्रहण के लिए किसी समझौते या अन्य दस्तावेज का निष्पादन या धारा 5 (बी) के अंतर्गत नियंत्रण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर विवरण का खुलासा करते हुए नोटिस देना होगा।आयोग को नोटिस दिए जाने के दिन से 210 दिन बीत जाने तक कोई भी संयोजन धारा 6 (2 ए) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रभावी नहीं होगा।

/

11. अधिनियम की धारा 42 आयोग के आदेशों के उल्लंघन से संबंधित है।धारा 43 ए संयोजन पर जानकारी प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति से संबंधित है।कोई भी व्यक्ति या उद्यम जो आयोग को अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत नोटिस देने में विफल रहता है, आयोग ऐसी स्थिति में जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है जो कुल कारोबार या परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत तक हो सकता है, जो भी अधिक हो।

/

/

12. धारा 43 ए को नीचे निकाला गया हैः

“ धारा 43 एःसंयोजनों पर जानकारी प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति

यदि कोई व्यक्ति या उद्यम धारा 6 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आयोग को नोटिस देने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर जुर्माना लगाएगा जो ऐसे संयोजन के कुल कारोबार या परिसंपत्तियों का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक हो सकता है। "

/

/

310

/

[2018] 4 एस सी आर।

13. संयोजन विनियमों का विनियम 4 लेन-देन की उन श्रेणियों से संबंधित है जिनके भारत में प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना नहीं है।विनियमन 5 प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना के रूप से संबंधित है।विनियम 5 (8) में प्रावधान किया गया है कि धारा 6 (2) (बी) में "अन्य दस्तावेज" का अर्थ किसी भी बाध्यकारी दस्तावेज से है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जो नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक समझौते या निर्णय को सूचित करता है।नियम 5 (8) को नीचे निकाला गया हैः

/

“5. प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना का प्रपत्र -

(1) .....

(8) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में "अन्य दस्तावेज" के संदर्भ का अर्थ होगा कोई भी बाध्यकारी दस्तावेज, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, जो नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए एक समझौते या निर्णय को सूचित करता हैः

/

बशर्ते कि यदि अधिग्रहण अधिग्रहण किए जा रहे उद्यम की सहमति के बिना है, तो अधिग्रहण करने वाले उद्यम द्वारा नियंत्रण, शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के निर्णय को सूचित करने वाले किसी भी नाम से निष्पादित कोई भी दस्तावेज "अन्य दस्तावेज" होगा।

/

बशर्ते कि जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के संदर्भ में शेयरों के अधिग्रहण, मतदान अधिकार या नियंत्रण के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की गई है, ऐसी सार्वजनिक घोषणा को "अन्य दस्तावेज" माना जाएगा। "

/

14. संयोजन विनियमों की अनुसूची 1 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 5 (ए) (आई) या धारा 5 (ए) (आई) में निर्दिष्ट शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण अधिग्रहणकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों का 25 प्रतिशत या उससे अधिक रखने का अधिकार नहीं देता है।स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी उद्यम के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत से कम के अधिग्रहण को केवल एक निवेश के रूप में माना जाएगा।संयोजन विनियमों की अनुसूची 1 यहाँ नीचे दी गई हैः

/

/

“(1) अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण, केवल एक निवेश के रूप में या इस प्रकार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में

/

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत का प्रतिस्पर्धा आयोग [अरुण मिश्रा, जे.] ए.

जहां तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहणकर्ता द्वारा रखे गए कुल शेयरों या मतदान अधिकारों का संबंध है, अधिग्रहणकर्ता को कंपनी के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों का पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) या उससे अधिक रखने का अधिकार नहीं है, जिनमें से शेयर या मतदान अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या शेयरधारकों के समझौते या संघ के लेखों सहित किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के अनुसार प्राप्त किए जा रहे हैं, जिससे उस उद्यम के नियंत्रण का अधिग्रहण नहीं होता है जिसके शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं।

/

व्याख्याः- किसी उद्यम के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से कम के अधिग्रहण को केवल एक निवेश के रूप में माना जाएगा।बशर्ते कि उक्त अधिग्रहण के संबंध में- (ए) अधिग्रहणकर्ता को केवल ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता है जो उद्यम के सामान्य शेयरधारकों द्वारा प्रयोग किए जा सकें जिनके शेयर या मतदान अधिकार उनकी संबंधित हिस्सेदारी की सीमा तक अर्जित किए जा रहे हैं; और (बी) अधिग्रहणकर्ता उद्यम के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं है जिसके शेयर या मतदान अधिकार अर्जित किए जा रहे हैं और उसे उद्यम के निदेशक मंडल में एक निदेशक को नामित करने का अधिकार या इरादा नहीं है जिसके शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं और उस उद्यम के मामलों या प्रबंधन में भाग लेने का इरादा नहीं है जिसके शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं। "

/

/

15. जुर्माना लगाने की प्रक्रिया नए विनियमों के विनियम 48 के अंतर्गत प्रदान की गई है।कारण दर्शाओ नोटिस दिया जाना चाहिए और उसके बाद यदि मौखिक सुनवाई की जाती है, तो आयोग को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जुर्माना लगाने का अधिकार है।

/

16. सबसे पहले, हम 3.11.2013 पर अपीलार्थियों द्वारा एमसीएफएल के शेयरों के अधिग्रहण से निपटते हैं।एमसीएफएल की 24.46% इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण एक ही दिन में किया गया था, जिसमें से 19.9% का अधिग्रहण ब्लॉक और थोक सौदों के माध्यम से किया गया था।सूचीबद्धता समझौते की आवश्यकता के अनुपालन में, स्टॉक एक्सचेंजों में दायर अपीलार्थियों द्वारा जारी समकालीन प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 3.7.2013 ने संकेत दिया कि इसका उद्देश्य एमसीएफएल में निवेश करना नहीं था। प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि "निवेश बहुत रणनीतिक है और कंपनी के व्यवसाय के साथ एक अच्छा फिट है"।अपने इरादे की प्रेस विज्ञप्ति में एक संकेत था जब उसने कहा कि डी. एफ. पी. सी. एल. दोनों के शेयरधारकों के

लिए दीर्घकालिक मूल्य बढ़ाने के लिए एम. सी. एफ. एल. के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है।

/

/

/

/

[2018] 4 एस सी आर।

कंपनियाँ "।न केवल अपीलार्थी बल्कि एक अन्य खिलाड़ी जुआरी समूह ने भी एम. सी. एफ. एल. के शेयरों की महत्वपूर्ण खरीद की अर्थात 2.4.2013 पर 9.72% भी विवाद में नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का पहला अधिग्रहण एमसीएफएल पर कब्जा करने की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा था, जो केवल एक निवेश नहीं था।24.46% इक्विटी हिस्सेदारी की खरीद, प्रभाव का प्रयोग करने के लिए निहित शक्ति जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति-II में भी परिलक्षित हुआ था।किसी उद्यम के कुल शेयरों या मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत से कम का अधिग्रहण केवल एक निवेश है।यह भी इंगित करता है कि इस सीमा से परे, लेन-देन को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है।इस प्रकार, हिस्सेदारी के 24.46% के अधिग्रहण के संबंध में अधिनियम की धारा 6 (2) के प्रावधानों का पालन करने में विफलता थी।धारा 6 (2) के प्रावधानों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था।

/

/

17. एमसीएफएल के 0.8 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के दूसरे अधिग्रहण पर विवाद यह है कि क्या खरीद के 30 दिनों के भीतर अधिसूचित करना धारा 6 (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान का अनुपालन था जिसे अधिग्रहण से पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए था।इसके परिणामस्वरूप, यह भी तर्क दिया गया कि दूसरी बार खरीदे गए इक्विटी शेयरों को एस्क्रो खाते में रखा गया था।जब तक आयोग प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी नहीं देता, तब तक अपीलार्थी लाभकारी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे।धारा 2 (ई) के अंतर्गत जो आवश्यक था वह मतदान का अधिकार था और अपीलार्थी एस्क्रो खाते में शेयर रखकर मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

/

/

18. हम उठाए गए प्रस्तुतिकरणों में कोई गुण नहीं पाते हैं।अधिनियम की धारा 6 (2) से यह स्पष्ट है कि संयोजन में प्रवेश करने के प्रस्ताव को आयोग को अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।विधायी जनादेश स्पष्ट है कि संयोजन में प्रवेश करने से पहले अधिसूचना बनाई जानी चाहिए। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए आयोग की स्थापना की गई है।संयोजन में प्रवेश नहीं किया जा सकता है और आयोग द्वारा आदेश पारित होने से पहले प्रभावी नहीं होगा या सूचना की तारीख से कुछ समय बीतने से पहले धारा 6 (2 ए) में उपयोग की गई शब्दावली से भी स्पष्ट है जो प्रदान करती है कि कोई भी संयोजन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आयोग द्वारा धारा 31 के अंतर्गत नोटिस या आदेश पारित करने की तारीख से 210 दिन बीत नहीं जाते हैं, जो भी पहले हो। विनियम 5 (8) में बनाए गए प्रावधान भी उपरोक्त निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं।अधिग्रहण की समाप्ति से पहले धारा 6 (2) की सूचना दी जानी है।धारा 6 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व कार्योत्तर सूचना पर विचार नहीं किया गया है।यही अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

/

/

/

313

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत का प्रतिस्पर्धा आयोग [अरुण मिश्रा, जे.] ए.

/

19. धारा 6 (2) में "संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव" अभिव्यक्ति और आयोग को सूचना में प्रकट किए जाने वाले आगे के विवरण "प्रस्तावित संयोजन" के हैं और अधिनियम की धारा 6 (2 ए) में निहित विशिष्ट प्रावधानों में प्रावधान है कि कोई भी संयोजन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आयोग द्वारा धारा 31 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने या आदेश पारित करने की तारीख से 210 दिन बीत न जाएं, जो भी पहले हो।अधिनियम का उद्देश्य यह है कि आयोग को संयोजन के गठन की अनुमति देनी होगी, और उसे यह आकलन करने का अवसर मिलेगा कि क्या प्रस्तावित संयोजन प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।यदि संयोजन को अनुमोदन के लिए पूर्व-कार्योत्तर अधिसूचित किया जाना है, तो यह अधिनियम के प्रावधानों के इरादे को विफल कर देगा।

/

/

20. जब लेन-देन पूरा हो गया है और अधिग्रहण किया गया है और बाद वाला लेन-देन दूसरी खरीद तक 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी से अधिक हो गया है, तो जाहिर है कि पूर्व

अनुमति की आवश्यकता थी, जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, क्योंकि इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 25.3% हो गई है।इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत अधिसूचना पूर्ववर्ती होनी चाहिए।

/

21. आयोग द्वारा बाद में संयोजन की मंजूरी का तथ्य एक इन्सुलेशन प्रदान करने वाला नहीं है जब अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और धारा 6 (2) के अंतर्गत पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।यह धारा 43 ए के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए खुला था। केवल आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से प्रावधानों का उल्लंघन अक्षम्य नहीं हो जाता है।

/

22. धारा 43 ए में निहित प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि आयोग जुर्माना लगाएगा जो अपने विवेकाधिकार पर कुल कारोबार या परिसंपत्तियों, जो भी अधिक हो, के 1 प्रतिशत तक हो सकता है।तथ्यों पर यह पाया गया है कि संयोजन का कारोबार प्रति वर्ष Rs.3322 करोड़ था, जिसका 1 प्रतिशत रु। 33.22 करोड़।आयोग ने 2 करोड़ रुपये का मामूली जुर्माना लगाया था जो कुल कारोबार का केवल 0.06% है।मामले के तथ्यों में, जानकारी का खुलासा देर से किया गया था।प्रावधान के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया था और यह सही तरीके से लगाया गया था।

/

/

23. दंड लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में धारा 43 ए के अंतर्गत पुरुष अधिकार या जानबूझकर उल्लंघन की कोई आवश्यकता नहीं थी।अधिनियम में इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है कि "विफलता जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण होनी चाहिए।

/

दंड अधिरोपित करने के उद्देश्य से।अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय है और उल्लंघन की प्रकृति को देखते हुए, जुर्माने की सीमा लागू करना विवेकाधीन है।आपराधिक या अर्ध-आपराधिक दायित्व का निर्णय लेने के लिए पुरुष अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि उल्लंघन के मामले में

सिविल वैधानिक प्रावधान।हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम.उड़ीसा राज्य एयर

1970 एस. सी. 253, नागरिक दायित्व का पालन करने में विफलता के संबंध में इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

/

“हमारी राय में, सिविल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेन्स रिया एक आवश्यक घटक नहीं है। हमारे विचार में, अधिनियम द्वारा विचार किए गए वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन स्थापित होते ही जुर्माना लगाया जाता है और इसलिए, इस तरह का उल्लंघन करने वाले पक्षों का इरादा महत्वहीन हो जाता है।दूसरे शब्दों में, एक नागरिक दायित्व का उल्लंघन जो एक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंड को आकर्षित करता है, तुरंत जुर्माना लगाएगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उल्लंघन चूककर्ता द्वारा किसी भी दोषी इरादे से किया गया था या नहीं।इसके अलावा जब तक कि क़ानून की भाषा पुरुषों के अधिकार के तत्व को स्थापित करने की आवश्यकता को इंगित नहीं करती है।यह आम तौर पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि क़ानून का पालन करने में चूक हुई है।दंड का पालन करना होगा और केवल दंड की मात्रा विवेकाधीन है "

/

/

हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम और विनियमन द्वारा विचार किए गए वैधानिक दायित्व का उल्लंघन होते ही जुर्माना लगाया जाता है और इसलिए इस तरह का उल्लंघन करने वाले पक्षों का इरादा पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है।हम आगे यह भी मानते हैं कि जब तक कानून की भाषा पुरुषों के अधिकार की उपस्थिति को स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत नहीं देती है, तब तक यह पता लगाना पूरी तरह से अनावश्यक है कि क्या ऐसा उल्लंघन जानबूझकर किया गया था या नहीं।अधिनियम की धारा 15 (डी) (बी) और धारा 15-ई के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इन प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना लगाने से पहले पुरुषों के कारण को साबित करने की आवश्यकता हो।इसलिए एक बार उल्लंघन स्थापित हो जाने के बाद दंड का पालन करना होता है। "

/

/

/

24. धारा 43 ए के अंतर्गत जुर्माना एक नागरिक दायित्व के उल्लंघन के कारण लगाया जाता है, और कार्यवाही न तो आपराधिक होती है और न ही अर्ध-आपराधिक।अतः दंड का पालन करना पड़ता है।धारा 43 ए के अंतर्गत प्रावधान में विवेकाधिकार मात्रा के संबंध में है।इस प्रकार, हम

पाते हैं कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को देखते हुए हमारे हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

/

315

एस. सी. एम. सॉलिफ्ट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत का प्रतिस्पर्धा आयोग [अरुण मिश्रा, जे.]

/

25. आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है, विधि के अनुसार हैं।अपील योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज होने योग्य है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/

/

/